अनुसूची-१४ -फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

अधिग्रहण वाद सं0– 27 / 2015

(मॉझी थाना कांड 192 / 15)

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, सदर,छपरा।)

बनाम

ड्राईवर, खलासी, व्यापारी एवं ट्रांसपोर्टर नरेश कुमार

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
10.12.2015	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, के पत्रांक 1361 दिनांक 1411.2015 के द्वारा संलग्न कर प्रेषित किए गए कागजातों (प्राथमिकी हेतु आवेदन, जप्ती सूची, एवं जिम्मेनामा) का परिसीलन किया गया। उक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह विदित होता है कि दिनांक 14.09.2015 को थाना प्रभारी, मॉझी के द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गयी कि उनके द्वारा एक ट्रक पर लदा चावल पकड़ कर प्रखंड परिसर मॉझी में रखा गया है। प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर प्रखंड परिसर में एक ट्रक जिसका नं0 UP-65 AR-3155 खड़ा था। जिस पर कुल 246 पैकेट चावल भारतीय खाद्य निगम मोहरित बैग में था और सभी बैग हाथ से सिला था। मशीन सिलाई एक भी बैग नही था। चूँकि ट्रक पर लदा चावल भारतीय खाद्य निगम मुहरित बोरा में था जिसे संदेह के आधार पर जप्त करते हुए ट्रक के ड्राईवर रामबली यादव, पिता शिवनाथ यादव, ग्राम देवनाथपुर, थाना मेहनाजपुर, जिला आजमगढ़ (उ0प्र0) तथा खलासी सोनू कुमार, पिता छोटे लाल ग्राम मिर्जापुर सरैया थाना सैदपुर से पूछ–ताछ किया गया तो चालक के द्वारा बताया गया कि यह चावल श्री मुकेश कुमार ठाकुर बाजितपुर बैशाली मो0 नं0 9631120228 का है जिसे श्री नरेश कुमार बिहार बंगाल ट्रांसपोट मुजफ्फरपुर मो0 नं0 9835010461 द्वारा बनारस ले जाया जा रहा है। चालक के द्वारा ट्रक पर लदे चावल के बारे में संतोषप्रद स्थिति स्पष्ट नहीं करने तथा समस्त चावल भारतीय खाद्य निगम मुहरित बैग से भरे होने से उसका सरकारी	

चावल होना तथा कालाबाजारी की नीयत से ले जाया जाने की पुष्टी के उपरांत ट्रक सहित उस पर लदे 246 पैकेट चावल जिसका कुल वजन 165.55 क्विंटल था जप्त करते हुए मॉझी थाना में दिनांक 14.09.15 को ड्राईवर, खलासी, व्यापारी एवं ट्रांसपोर्टर नरेश कुमार के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–7 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मॉझी थाना कांड सं0 192/15 दिनांक 14.09.15 से प्राथमिकी दर्ज करते हुए ट्रक, चालक एवं खलासी को थाना को सुपुर्द करते हुए जप्त चावल को सुरक्षा की दृष्टि से मॉझी स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम प्रबंधक श्री नरेन्द्र सिंह को जिम्मेनामा पर हस्तगत करा दिया गया। सुलभ प्रसंग हेतु प्राथमिकी जप्ती एवं जिम्मेनामा पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

अनुमंडल पदाधिकारी सदर के द्वारा दर्ज प्राथमिकी जप्ती सूची एवं जिम्मेनामा की प्रति संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध किया गया है, कि उसके आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत जप्त खाद्यान्न के विरूद्ध अधिग्रहण की कार्रवाई की जाय।

अभिलेख में रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा के द्वारा अपने उक्त प्रस्ताव में कही भी जप्त वाहन के अधिग्रहण का प्रस्ताव अंकित नहीं किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। निर्देश है कि **इससे संबंधित प्रस्ताव अविलम्ब उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, भविष्य इस बिन्दु का विशेष ध्यान रखा जाए।**

मॉझी थाना कांड संख्या 192/2015 दिनांक 14.09.2015 में नामजद अभियुक्तो से स्पष्टीकरण पूछा जाए कि छापामारी के कम में जप्त सामग्री के अधिग्रहण की कार्रवाई क्यों न की जाए।

चूंकि जप्त सामग्री नष्ट होने वाला पदार्थ है, इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 (ए–2) के अन्तर्गत उचित दर पर विकी हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, को प्राधिकृत किया जाता है।

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को आदेश दिया जाता है कि **यदि किसी व्यवहार न्यायालय के आदेश के प्रतिकूल नहीं हो** तो वे जप्त सामग्री को जप्ती सूची के अनुसार डाक के द्वारा बिक्री कराकर विकय राशि को जिला कोषागार में उचित शीर्ष में जमा कराकर अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर भेजना सुनिश्चित करेगें।

थानाध्यक्ष मॉझी को निर्देश है कि मॉझी थाना कांड संख्या 192/2015 दिनांक 14.09.2015 से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन(अभियुक्तो की गिरफ्तारी, आरोप पत्र दाखिल करना आदि) आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक 7 EC सारण, छपरा से अनुरोध है कि वे उक्त थाना कांड से संबंधित वाद के माननीय न्यायालय में दाखिल होने के पश्चात् उसकी प्रगति के संबंध में पाक्षिक प्रतिवेदन भेजने का कष्ट करेंगे ताकि समय–समय पर तदनुसार

यथोचित आदेश पारित करने की कार्रवाई की जा सकें।

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा के माध्यम से सभी संबंधित को इस आदेश का तामिला कराया जाए।

अभिलेख 28.01.2015 को प्रस्तुत किया जाए।

लेखापित एवं संशोधित

10/12/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

6/12/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 994 / न्या0, दिनांक 10/12/15

प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशानुसार कहना है कि संलग्न नोटिस एवं पत्रों का तामिला संबंधित को कराकर एक सप्ताह के अंदर तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

प्रतिलिपिः–विद्वान विशेष लोक अभियोजक,7 ई0सी0,सारण,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– थानाध्यक्ष, मॉझी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/12

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।

10/12/15